-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 26.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **अपर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा पुलिस लाइन बांदा में जनपद के समस्त थानों के पैरोकारों के साथ मीटिंग कर संदिग्ध/पेशेवर जमानतदारों की पहचान करते हुए प्रभावी कार्यवाही के दिए गये आवश्यक दिशा निर्देश।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में फर्जी एवं संदिंग पेशेवर जमानतदारों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 26.11.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज द्वारा पुलिस लाइन बांदा नवीन सभागार में जनपद के समस्त थानों के पैरोकारों के साथ मीटिंग की गई। जिसमें फर्जी/एक ही कागजातों/दस्तावेजों का बार बार उपयोग करने वाले पेशेवर जमानतदारों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही के स्पष्ट निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा स्पष्ट किया गया कि पेशेवर जमानतदारों द्वारा अपराधियों को लाभ पहुँचाने के लिए जमानत प्रक्रिया का दुरुपयोग करते है जिससे न्यायपालिका व कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संदिग्ध जमानतदारों के दस्तावेज़ों का बारीकी और सावधानीपूर्वक सत्यापन किया जाए व किसी भी असंगति को गंभीरता से लिया जाए। फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सभी थानें सतर्क रहे तथा विभिन्न थानों के बीच जानकारी का आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि पेशेवर जमानतदारों की पहचान हो सके और उनकी गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखते हुए कड़ी कार्यवाही की जा सके। बैठक में सभी को निर्देशित किया गया कि दिनांक 13.12.2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित आदेशिकाओं का समय से तामीली सुनिश्चित किया जाए। सभी पैरोकारों को निर्देशित किया गया कि सभी चार्जसीट न्यायालय में समय से दाखिल की जाएं। बैठक में क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजवीर सिंह गौर, पुलिस उपाधीक्षक सुश्री प्रतिज्ञा सिंह सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी व समस्त थानों के पैरोकार आदि उपस्थित रहे।